THE MINISTER FOR TEXTILES AND FOOD PROCESSING INDUSTRY (SHRI HUKMADEO NARA-YAN YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) The price of bread has been increased on the recommendation of Delhi Administration in view of increase in prices of inputs.

(c) and (d) Some instances of charging higher prices of breads have been reported. Department of Food Supplies Delhi Administration has conducted **a** number of checkings/ raids and necessary action against the offenders have already been initiated. Department of Food Supplies of Delhi Administration is continuing to conduct checkings/raids to ensure supply of breads at the approved rates.

Interest being Shown by Depositors of Gulf Countries to Invest in Indian Banks

498. **SHRI** V. NARAYANASAMY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that big depositors in the Gulf countries are showing keen interest in investing money in the Indian banks due to Gulf War; and

(b) if so, what are the details in this regard and what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) No, Sir. There is no information that big depositors from the Gulf countries are showing keen interest in investing money in Indian banks due to Gulf war.

(b) Does not arise.

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की ब्याज दर में वृद्धि

499. **श्री राम जेठमलानी :**
डा० जिनेंद्र कुमार जैन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा हाल ही में अपनी ब्याज दर में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने ब्याज दर में की गई इस वृद्धि के कारण नई औद्योगिक इकाइयों पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो ब्याज दर में वृद्धि करने का क्या औचित्य है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) जी, हां। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अब एक अगस्त, 1990 से औद्योगिक परियोजनाओं के ऋण के लिए दो स्तरीय ब्याज दर ढांचे की घोषणा की है।

(ख) प्रथम स्तर प्रारम्भिक दो वर्षों पर औद्योगिक परियोजना के निर्माण की अवधि, इनमें से जो भी कम हो, के संबंध में है और जिसकी ब्याज दर पहली दर अर्थात् 14 प्रतिशत पर अपरिवर्तित है द्वितीय स्तर इसके बाद की अवधि पर लागू होता है जब यह आशा की जाती है कि परियोजनाओं में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ हो जाएगा और इसके लिए सामान्य ब्याज दर 15 प्रतिशत है।

(ग) ब्याज दर संरचना, जिसमें 1981 से कोई परिवर्तन नहीं किया गया था, में संशोधन करते समय इस पहलू को भी ध्यान में रखा गया था। दो स्तरीय ब्याज दर संरचना वाली संशोधित व्यवस्था इसलिए अपनाई गई थी ताकि औद्योगिक इकाइयों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े क्योंकि निर्माण की अवधि की ब्याज दर अपरिवर्तित रखी गयी है, और इसके बाद की अवधि के लिए ली जाने वाली ब्याज दर में एक प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद यह दर बाजार की ब्याज दर से उदाहरण के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लिए जाने वाले ब्याज की दर से कम है।

(घ) उधार की दरों में वृद्धि कई कारणों से आवश्यक हो गयी थी जिसमें